रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-248003
CG-DL-E-10082023-248003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2023/श्रावण 18, 1945
No. 3411] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2023/SHRAVANA 18, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त 2023

का.आ. 3565(अ)—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का. आ. 74(अ) दिनांक 7 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में, निम्नलिखित अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव भारत सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानापुर तालुक में महादयी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में दंडेली वन्य जीव अभयारण्य और गोवा में महादयी वन्यजीव

अभयारण्य के साथ साझी सीमा है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 19042.58 हेक्टेयर है। इस अभयारण्य को उत्कृष्ट प्राणी और वनस्पति विविधता के साथ आरक्षित वन्य क्षेत्र से काट कर बनाया गया है।

और, पश्चिमी घाट, अपनी विशिष्ट स्थिति की वजह से, प्रायद्वीप में जैव-विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा पोषित पारिस्थितिकी विपुलता समृद्ध जैव विविधता और संवेदनशील भू-आकृति उनकी विशिष्टता को और अधिक बढ़ाती है। भीमगढ़ क्षेत्र एक व्यापक जैव विविधता वाला क्षेत्र है और निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों के साथ बाघ और अन्य वन्य जीवों के लिए गलियारा उपलब्ध करता है। भीमगढ़ की बारापेड गुफा भारत में रॉटन के फ्री टेल्ड चमगादड़ों के लिए एकमात्र पर्यावास का केंद्र है। भीमगढ़ क्षेत्र भी कृष्णपुर गुफाओं में थियोबाल्ड्स मकबरे के चमगादड़ों के लिए देश में दुर्लभ पर्यावासों में से एक है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को निम्नलिखित विशेषताएं और अधिक विशिष्ट बनाती हैं: भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र अर्ध सदाबहार और खड़ी ढलान के साथ सदाबहार घने जंगलों के पश्चिमी घाट के क्रोडजोन में है इस क्षेत्र में प्रचुर जीवजंतु और वनस्पतीय विविधता है। इस क्षेत्र में बहुत से वन्यजीवों का महत्व है। यह संकटापन्न और स्थानिक रॉउटन फ्री टेल्ड चमगादड़ (ओटोमोपसरॉउटनी) और थाइयोबल्डस् टॉम्ब चमगादड़ (टेफोजुसथेओबल्डी) के लिए पर्यावास के केंद्र हैं। बारापेडे गुफाएँ भारत में रॉउटन फ्री टेल्ड चमगादड़ के लिए ही बसेरा और प्रजनन स्थल के लिए जानी जाती है। वनों में सुंदर वन स्थली की पच्चीकारी और घासभूमि के साथ बाघ, तेंदुआ, भारतीय गौर, रीछ, सांभर, मुंजक, चीतल, जंगली कुत्ता, किंग कोबरा के लिए और अन्य स्तनधारियों और विविध प्रकार के सरीसृपों के पर्यावास हैं। जैव विविधता के सबसे समृद्ध भंडार वाला यह क्षेत्र गोवा में महादयी वन्यजीव अभयारण्य के पूर्व में और कर्नाटक में दांदेली वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र दांदेली वन्यजीव अभयारण्य, काली टाइगर रिजर्व, भगवान महावीर और महादयी वन्यजीव अभयारण्यों के बीच बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक गलियारे के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र कई जलधाराओं के अलावा महादायी, बैलनादी आदि जैसी कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल और जलग्रहण स्रोत है। इस क्षेत्र में कई गुफाओं के साथ कई भू-आकृति विज्ञान चूना पत्थर की संरचनाएं शामिल हैं, जो इस स्थान के लिए स्थानिक जीवों और वनस्पतियों की विस्तृत विविधता को बढ़ाती हैं। उपरोक्त के अलावा, अभयारण्य में ऐतिहासिक भीमगढ़ किले के खंडहर शामिल हैं, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के जंगल मुख्य रूप से सदाबहार और अर्ध-सदाबहार प्रकार के हैं जो लगभग समान अनुपात में पाए जाते हैं। हेम्मदगा खंड में अर्ध-सदाबहार वनस्पति अधिक है और शेष क्षेत्र में सदाबहार प्रकार की वनस्पति है। अभयारण्य के आसपास के परिधीय क्षेत्र में नम पर्णपाती वन हैं। पहाड़ी ढलानों पर घनी वनस्पति के साथ घास की भूमि का विशाल विस्तार मोज़ेक में पाया जाता है। लैटेराइट पठार (सदास) में बड़े वृक्षों की वृद्धि नहीं होती और केवल घास की वृद्धि देखी जाती है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के सदाबहार जंगलों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियां अंजन (मेमेसीलोन एडुले), हेब्बालासु (आर्टोकार्पस हिर्सुटस), वाटे (आर्टोकार्पस लकूचा), रामपात्री (मिरिस्टिका मालाबारिकम), दालचिनी (सिनामोमम एसपीएस), नंदी (लेगरस्ट्रोमिया लांसोलाटा), धुप (वेटेरिया इंडिका), अशोक (साराकैन्डिका), फिशटेल पाम (कैरियोटॅरिन्स), गोवाडा (मैपिया फोटिडा) हैं ।

और, इस प्रकार की वनस्पति में शीर्ष केनोपी वाले वृक्ष प्रजातियों जैसे नंदी (लेगरस्ट्रोमिया लांसोलाटा), हरड़ (टर्मिनलिया चेबुला), कवल (केरेया आर्बोरिया), आंवला (एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस), तारे (टर्मिनलिया बेलिरिका), होन (पेरोकार्पस मार्सुपियम), किंडल (टर्मिनलिया पैनिकुलता), शीशम (डालबर्गिया लैटिफोलिया), जैक (आर्टोकार्पस एसपीपी), मुर्की (बुचानिया लानज़ान), धुप (डिप्टरोकार्पस इंडिकस), गुलमावु (मचिलुस माकरनिहा), जामुन (सिज़िगियम क्यूमिनी) आदि का बाहुल्य होता है।

और, 2ए/सी2 प्रकार एक द्वितीयक क्रमिक प्रकार को स्थान देता है जो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय माध्यमिक नम पर्णपाती वनों से मेल खाता है और ये वन्यजीव अभयारण्य के हेम्माडागा क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृक्ष प्रजातियाँ ज़िज़िफस, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, टर्मिनलिया चेबुला, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, लैसियोसिफॉन एरीओसेफालस के साथ पाई जाती हैं।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में अधिकांश खुली जगहें या तो घास की भूमि हैं या किसी प्रकार की खरपतवार उगी हुई हैं। विदेशी खरपतवारों में से लैंटाना का संक्रमण, हालांकि बहुत व्यापक नहीं है, अबनाली और हेम्माडागा वन क्षेत्रों में देखा जाता है। शेष क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले यूपेटोरियम की बाहुलता हैं।

और, भीमगढ़ क्षेत्र की अधिकांश पहाड़ियों में स्ट्रोबिलैंथेस की दो प्रमुख प्रजातियों की उपस्थिति है, अर्थात् स्ट्रोबिलैंथेसेसिलिस और स्ट्रोबिलैंथेस कैलोससकोनोनली जिन्हें आमतौर पर क्रमशः बेकरा और कार्वी के नाम से जाना जाता है। लगभग 1000 हेक्टेयर वन क्षेत्र पूरी तरह से बेकरा (स्ट्रोबिलैंथे सेसिलिस) से प्रभावित है। दूर से देखने पर यह घास की विशाल भूमि जैसा दिखता है क्योंकि बेकरा जहां यह उगता है उस क्षेत्र में किसी अन्य प्रजाति को उगने की अनुमति नहीं देता ।

और, लैटेरिटिक पठार पर घास युक्त भूमि अपने चारों ओर घनी वनस्पति के साथ मोज़ेक पैटर्न बनाती है। अभयारण्य के तलेवाडी, मेंडिल, गवली और हेम्माडागा क्षेत्रों में 2000 हेक्टेयर से अधिक घास युक्त भूमि उपलब्ध है। अभयारण्य के अन्य हिस्से में भी घने जंगलों के बीच छोटी-छोटी घास की भूमि देखी जाती है, जिससे बड़ी संख्या में घास चरने वाले पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता रहती है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य औषधीय पौधों का एक समृद्ध भंडार है । अमागाँव के अर्ध सदाबहार वनों में से एक ऐसा ही क्षेत्र वर्ष 2010-11 के दौरान औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एम.पी.सी.ए.) के लिए पहचाना गया है । अभिलिखित की गई प्रजातियों में से, 82 प्रतिशत पौधे औषधीय गुणों के पाए गए हैं। अभिलिखित किए गए पौधों में से लगभग 47 प्रतिशत वृक्षों की प्रजातियाँ हैं, जिसमें 28 % झाड़ी और 18% जड़ी-बूटी है । इस क्षेत्र में अनकीसट्रोक्लाडुसेयनीअनस, डियोसइपरो स्पेनीकुलाटा, इयोनयमस इंडिकस, माइरिसटिका अरबोरिया आदि कई स्थानिक पौधों की प्रजातियों का स्थान है; कई अभिलिखित औषधीय पौधे जैसे अरीसटोलोचीअटागाला, डियोस्पइपरो मोनटाना, इमबलीका ऑफिसीनलीस, गरकीनीया इंडिका, नोथापोडयटेस्नीम्मोनीआना आदि के साथ उच्च औषधीय और आर्थिक गुणों से युक्त हैं।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों, तितलियों और अन्य कीड़ों का पर्यावास है। इस तथ्य के अलावा कि भीमगढ़ रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ों के पर्यावास और प्रजनन के लिए एकमात्र ज्ञात स्थान है, इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण शिकारी और शिकार करने वाले जानवर भी हैं। अभयारण्य में रह रहे बाघों की उपस्थिति और उनके लिए अच्छे शिकार की उपलब्धता से पता चलता है कि यह बाघों के लिए एक अच्छा पर्यावास स्थल है। अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे सांभर (सर्वस यूनिकलर), भारतीय गौर (बोस गौरस), चौसींगा मृग (टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस), काकड़ हिरण (मुंटियाकस मुंटजैक), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), भारतीय क्रेस्टेड साही (हिस्टिक्सइंडिका), भारतीय खरगोश (लेपस नाइग्रीकोलिस), भारतीय चित्तीदार शेवरोटेन (ट्रैगुलस मेमिन्ना), ग्रे लंगूर (प्रेस्बिटिस एंटेलस), रेड स्लेंडर लोरिस (लोरिस टार्डिग्राडस), चीतल (एक्सिस एक्सिस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), ढोल या भारतीय जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइनस), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेंगालेंसिस) रीछ (मेलर्सस उर्सिनस), स्वर्ण सियार (कैनिस ऑरियस), पायथन (पायथन मोलुरस), किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्ना), रसेल वाइपर (दबोइया रसेली), कॉमन करैत (बंगारस कैर्यूलस), रैट स्नेक (पटायस म्यूकोसा), वाइन स्नेक (अहैतुल्लानासुता), कॉमन इंडियन मॉनिटर (वरनस बेंगालेंसिस), इंडियन फ्लाइंग लिज़र्ड (ड्रेको डुसुमिएरी), मालाबार गैंट गिलहरी (रतुफा इंडिका) आदि का पर्यावास है। भीमगढ़ क्षेत्र को बाघों के लिए सबसे आदर्श पर्यावासों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि छह से आठ बाघ अभयारण्य में रहते हैं और कर्नाटक और गोवा राज्य के आसपास के जंगलों में भी घूम रहे हैं।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की बहुलता है जिसमें विशाल भारतीय धनेश सम्मिलित है और अंगारक, खंजन, कठफोड़वा, कौडिल्ला, चील, बगुला, शकरखोरा, उल्लू और पंडुक की विविधता है । ग्रे जंगली मुरगा, जंगल मयना, महोख, परलोक मक्खीमार, मालाबार अंगारक आदि भी इस क्षेत्र में सामान्यतः दिखाई देते हैं।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

और, अब पारिस्थितिक, पर्यावरणीय, जीव-जंतु, पुष्प, भौगोलिक या प्राणीशास्त्रीय संबंध या महत्व के कारण, उनमें या उनके परिवेश में वन्य जीवन के प्रसार या विकास की रक्षा के उद्देश्य से, भारत सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा क्षेत्र, जिसकी स्थिति और सीमाएं इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट हैं को भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के "पारिस्थितिकी संवेदी जोन" के रूप में घोषित करती है।

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

(1) भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के खानापुर तालुक में स्थित है और इसमें 13 ग्राम I से XIII; शामिल हैं। उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है और इसकी

सीमा पर प्रमुख स्थानों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र अनुलग्नक-ख में है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन 117.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी सीमा 0 किलोमीटर (अंतर राज्य सीमा और काली टाइगर रिजर्व) से लेकर भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 3.23 किलोमीटर तक है।

(2) प्रमुख स्थानों के जी.पी.एस. निर्देशांक अनुलग्नक-ग के रूप में संलग्न हैं।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण अनुलग्नक-घ में शामिल है। इसके अलावा, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आरक्षित वन क्षेत्र का विवरण अनुलग्नक-ङ में दिया गया है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भीतर राजस्व क्षेत्र का विवरण अनुलग्नक-च में दिया गया है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आने वाले आरक्षित वन अनुलग्नक-छ में दिए गए हैं।

(4) वन ब्लॉक क्षेत्रों में सभी गतिविधियाँ भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी और संरक्षित क्षेत्र (अभयारण्य) में गतिविधियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी, जिसमें लागू प्रासंगिक राज्य अधिनियम/नियम/दिशानिर्देश भी सम्मिलित हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 0.00 किलोमीटर से 3.23 किलोमीटर तक होती है।

(6) संक्षेप में 11244.79 हेक्टेयर आरक्षित वन और 530.59 हेक्टेयर राजस्व की सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आता है।

2. आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी पहलुओं को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगर निगम, राजस्व और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी संबंधित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन एवं वन्यजीव;

(iii) कृषि

(iv) राजस्व

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग, कर्नाटक सड़क विकास निगम लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण;

(xii) हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड;

(xiii) पुलिस विभाग (गृह);

(xiv) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(3) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(4) आंचलिक महायोजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा कानूनी भूमि उपयोग स्वरूप, साथ ही कानूनी बुनियादी अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और यह पहले की तरह जारी रहेगा। हालाँकि, आंचलिक महायोजना सभी बुनियादी ढाँचे/क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने में भी सुधार करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों की बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(6) आंचलिक महायोजना में हरित उपयोग जैसे कि चाय बागानों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि उद्यानों और अन्य क्षेत्र जैसे गैर-हरित उपयोगों के लिए भूमि उपयोग में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, मौजूदा स्थानीय आबादी की प्राकृतिक वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, कृषि भूमि के सख्ती से सीमित रूपांतरण की अनुमति दी जा सकती है।

(7) वन क्षेत्र, हरित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में सामान्यतः कोई कमी नहीं होगी।

(8) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना की तैयारी और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसके अनुमोदन तक सभी नए निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को निगरानी समिति द्वारा अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के उप-पैरा (4) के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(9) निगरानी समिति सभी विभागों और हितधारकों द्वारा आंचलिक महायोजना के उचित कार्यान्वयन की भी निगरानी करती है। यह समिति लोगों की शिकायतों पर भी गौर करेगी और ऐसी शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालेगी।

(10) आंचलिक महायोजना के प्रावधानों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाएगा

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

(क) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट या मौजूदा वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट या मौजूदा वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात.-** वाहन-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध, विनियमित और अनुमत किए जाने वाले क्रियाकलाप.-

भीमगढ़ वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, वाणिज्यिक उत्खनन, पत्थर उत्खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और वाणिज्यिक खनन, वाणिज्यिक उत्खनन, पत्थर उत्खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी; खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त ,2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
4.	उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं, ताप विद्युत संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
7.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	प्रतिषिद्ध।
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान स्थापना का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
9.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में चिकित्सा अपशिष्ट सहित अपशिष्टों और ठोस अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
10.	कृषि एवं बागवानी से भूमि उपयोग विन्यास में परिवर्तन	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे रिसॉर्ट्स, उद्योगों की स्थापना, आवासीय विन्यास के लिए निषिद्ध है।
11.	कंपनियों/फर्मों/कॉर्पोरेट घरो आदि द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस और अन्य वाणिज्यिक कृषि/बागवानी उद्यमों की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।

12.	वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्रों, वातित पेय बॉटलिंग संयंत्रों आदि के लिए भूजल संचयन सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
13.	पर्यटकों, वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
14.	किसी भी विमान, हॉट एयर बैलून, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, पैरासेलिंग, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर से उड़ान भरने जैसी पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ करना।	प्रतिषिद्ध। हालाँकि, वन विभाग गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वृत्तचित्र बनाने के लिए वन, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकता है।
15.	संकेत बोर्ड और होर्डिंग	प्रतिषिद्ध। तथापि, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्राम की सीमा के भीतर अनुमति है। वन विभाग और उपयोगकर्ता एजेंसियों जैसे लोक निर्माण विभाग, कर्नाटक सड़क विकास निगम लिमिटेड, केएसएचआईपी, एनएचएआई आदि को अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गुजरने वाली सार्वजनिक सड़कों पर गति सीमा का पालन करने के लिए साइन बोर्ड जैसे वन्यजीवों के बारे में और वन्यजीवों के हित में जागरूकता पैदा करने के लिए अनुमति दी गई है।
16.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
17.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध। तथापि, स्थानीय किसानों द्वारा छोटे पैमाने पर पहल की अनुमति है।
18.	ईंट भट्ठों की स्थापना।	सभी नई और मौजूदा ईंट भट्ठा इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं।
19.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार या ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी और औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20.	पवन चक्कियों का निर्माण	प्रतिषिद्ध।
21.	नई सड़कों का निर्माण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 दिसंबर, 2014 को जारी "संरक्षित क्षेत्रों में सड़कों के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार भीमगढ़ अभयारण्य सीमा के भीतर निषिद्ध है। अभयारण्य के बाहर सड़कों का निर्माण संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम और उनके अंतर्गत बनाये गये नियम प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। ।
22.	रेलवे, रोपवे, केबल कार	प्रतिषिद्ध।
23.	11केवी से अधिक विद्युत केबलों, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण।	प्रतिषिद्ध।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
24.	वाणिज्यिक होटलों एवं रिसॉर्ट्स की स्थापना*	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो,

		नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
25.	निर्माण क्रियाकलाप*	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: तथापि, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके वास्तविक उपयोग के लिए अपनी भूमि में निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है। (i) फरवरी 2016 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार प्रदूषण नहीं फैलाने वाले लघु उद्योग; तथापि, प्रदूषण न फैलाने वाले ऐसे उद्योगों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से न्यूनतम रखा गया है, यदि कोई हो और ऐसे उद्योगों का निर्माण प्रकृति में स्थायी नहीं होगा। (ii) ग्रामोद्योग सहित कुटीर उद्योग; पारिस्थितिकी-पर्यटन और ऐसे उद्योगों के निर्माण का समर्थन करने वाले सुविधा स्टोर और स्थानीय सुविधाएं प्रकृति में स्थायी नहीं होंगी।
26.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी ; (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
27.	भूजल संचयन सहित जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग।	(क) सतही जल और भूजल के निष्कर्षण की अनुमति केवल स्थानीय लोगों को उनके वास्तविक कृषि उपयोग और भूमि के कब्जे वाले के घरेलू उपभोग के लिए दी जाएगी; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ग) सतही जल या भूजल की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी; (घ) कृषि सहित किसी भी स्रोत से पानी के प्रदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
28.	विद्युत केबलों, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । बशर्ते कि भविष्य में 11 केवी तक घरेलू उद्देश्यों के लिए विद्युत केबल/ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएं, केबलिंग अनिवार्य रूप से भूमिगत की जानी चाहिए और उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा इंडिकेशन टाइल्स/केबल सुरक्षा कवर अनिवार्य रूप से लगाए जाने चाहिए। जंगली जानवरों को करंट लगने से बचाने के लिए मौजूदा विद्युत लाइनों के दो टावरों के बीच का "झुकाव" बिंदु जमीन से सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए।
29.	संचार टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनें।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	विद्युत बाड़ लगाना, वाणिज्यिक होटलों/रिसॉर्ट्स/निजी होमस्टे, निजी फार्मों और फर्मों, कॉर्पोरेट घरानों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि और बागवानी उद्यमों के लिए परिसर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

31.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों की सुरक्षा।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
33.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लागू कानूनों के अधीन विनियमित। इसके अलावा, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इको-सेंसिटिव जोन से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग 30 पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रतिबंध जारी रहेगा।
34.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
35.	मछली पकड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
36.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत है। तथापि, इनमें से कुछ गतिविधियों के अत्यधिक विस्तार को आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।
37.	आवास, कृषि और अन्य स्व-निर्वाह उद्देश्यों के लिए विद्युत केबलों का निर्माण।	भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा
38.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-

इस अधिसूचना उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
1.	प्रादेशिक आयुक्त, बेलागावी	अध्यक्ष, पदेन;
2.	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, बेलागावी	सदस्य, पदेन;
3.	पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि - बेलगावी जिला	सदस्य, पदेन;
4.	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
5.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
6.	ऊर्जा विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;

7.	पर्यटन विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
8.	ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
9.	सार्वजनिक कार्य, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
10.	स्वास्थ्य विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
11.	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
12.	पशुपालन विभाग, कर्नाटक के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
13.	लघु सिंचाई विभाग, कर्नाटक के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
14.	कर्नाटक राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
15.	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिन्हें कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
16.	उप वन संरक्षक, प्रादेशिक प्रभाग, बेलगावी	सदस्य–सचिव, पदेन;

6. निगरानी समिति के कार्य:-

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए जारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को **उपाबंध-ज** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय:- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश:- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/158/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ .एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- क

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा परवाड़ ग्राम के निकट 15° 39' 55.972" उ, 74° 14' 46.070" पू से आरंभ होकर और जीपीएस बिंदु 15° 39' 16.500" उ, 74° 17' 22.207" पू के साथ गवासे ग्राम की ओर जाती है। यह सर्वे सं. 8 पर जीपीएस बिंदु 15° 38' 44.070" उ, 74° 18' 27.404" पू के साथ अमागव ग्राम के साथ सामान्य सीमा साझा करती है, यह दाएं ओर मुड़कर और जीपीएस बिंदु 15° 38' 15.655" उ, 74° 20' 37.043" पू के साथ चापोली ग्राम की ओर मुड़ती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कोटनीनदी से होते हुए और जीपीएस बिंदु 15° 36' 30.832" उ, 74° 18' 12.327" पू पर मुड़कर और इसके अतिरिक्त गवाली ग्राम की सर्वे सं. 70 की सीमा में पुनः जाती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु 15° 37' 55.620" उ, 74° 22' 31.882" पू के साथ कपोली क चापोली और किरावली ग्रामों के साथ सामान्य सीमा साझा करती है। जीपीएस बिंदु 15° 36' 52.459" उ, 74° 22' 19.008" पू के साथ भूमि का छोटा भाग पस्टोले ग्राम के साथ संबंधित हे। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु 15° 37' 8.297" उ, 74° 23' 48.479" पू के साथ काबानली ग्राम के सर्वे सं. 52 तक सर्वे सं. 36 की सीमा सहित जाती है।
पूर्व:	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु 15° 35' 39.440" उ, 74° 23' 21.121" पू के साथ काबानाली से आरंभ होकर और कानगले ग्राम तक जाती है और पुनः सर्वे सं. 43, सर्वे सं. 44 और सर्वे सं. 25 की सीमा के साथ जाकर और जीपीएस बिंदु 15° 34' 15.666" उ, 74° 25' 11.594" पू के साथ सर्वे सं. 97, 96 में शीरोली ग्राम और सर्वे सं. 125 में नरसे ग्राम में जाती है। इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जीपीएस बिंदु 15° 34' 55.597" उ, 74° 23' 40.982" पू में नरसे और जामगांव ग्राम और जीपीएस बिंदु 15° 33' 42.894" उ, 74° 25' 8.580" पू के साथ नरसे अबानली ग्राम के साथ जाती है।
दक्षिण:	उपर्युक्त बिंदु से, सीमा जीपीएस बिंदु 15° 34' 11.637" उ, 74° 25' 49.089" पू से होते हुए डोंगरगांव ग्राम में जाती है और हल्टारा नाला को पार करके और इसके अतिरिक्त जीपीएस बिंदु 15° 29' 59.861" उ, 74° 26' 14.173" पू के साथ वाराकर पती ग्राम की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा हेम्मादगई वाराकरपती ग्राम के साथ जाकर और जीपीएस बिंदु 15° 28' 36.783" उ, 74° 23' 27.491" पू पर उत्तर कन्नड़ के देवूली ग्राम में जाकर और तारवा नदी को पार करके और अंतः जीपीएस बिंदु 15° 28' 26.319" उ, 74° 22' 18.503" पू पर डंडेली अंसी बाघ रिज़र्व से जुड़ती है।
पश्चिम:	उपर्युक्त बिंदु से, सीमा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और डंडेली वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा से होते हुए, यह गोवा और कर्नाटक राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा तक पहुंचती है। इसके बाद अंतरराज्यीय सीमा के साथ जाती है, यह आरंभिक बिंदु तक पहुंचती है।

अनुलग्नक- ख

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

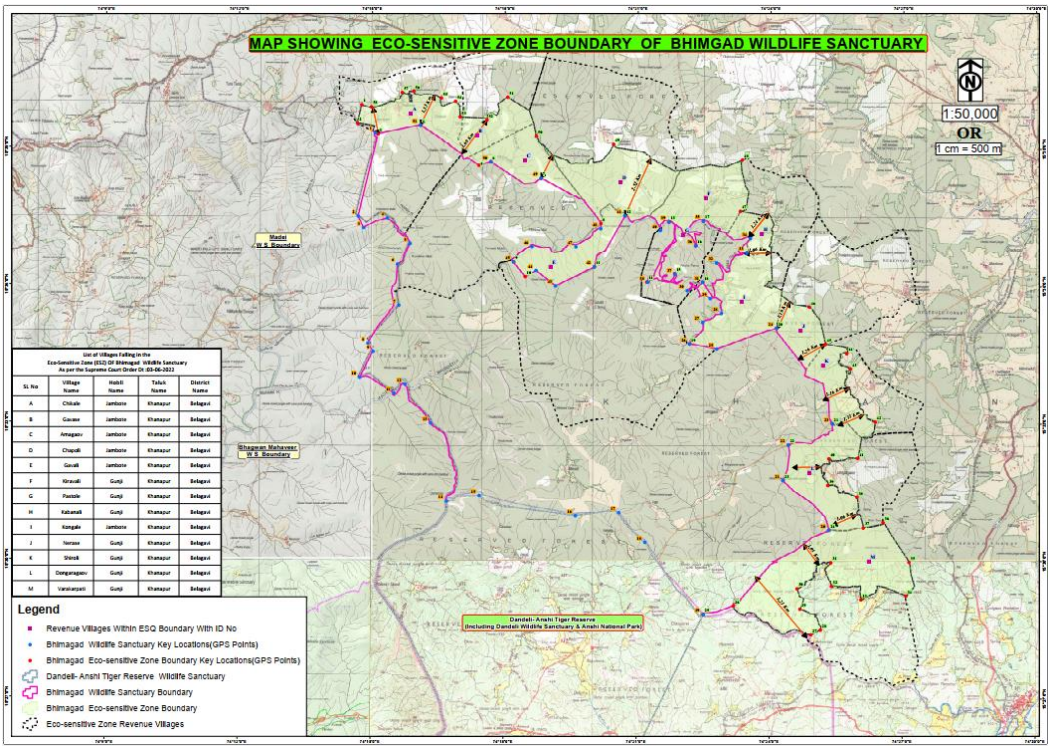

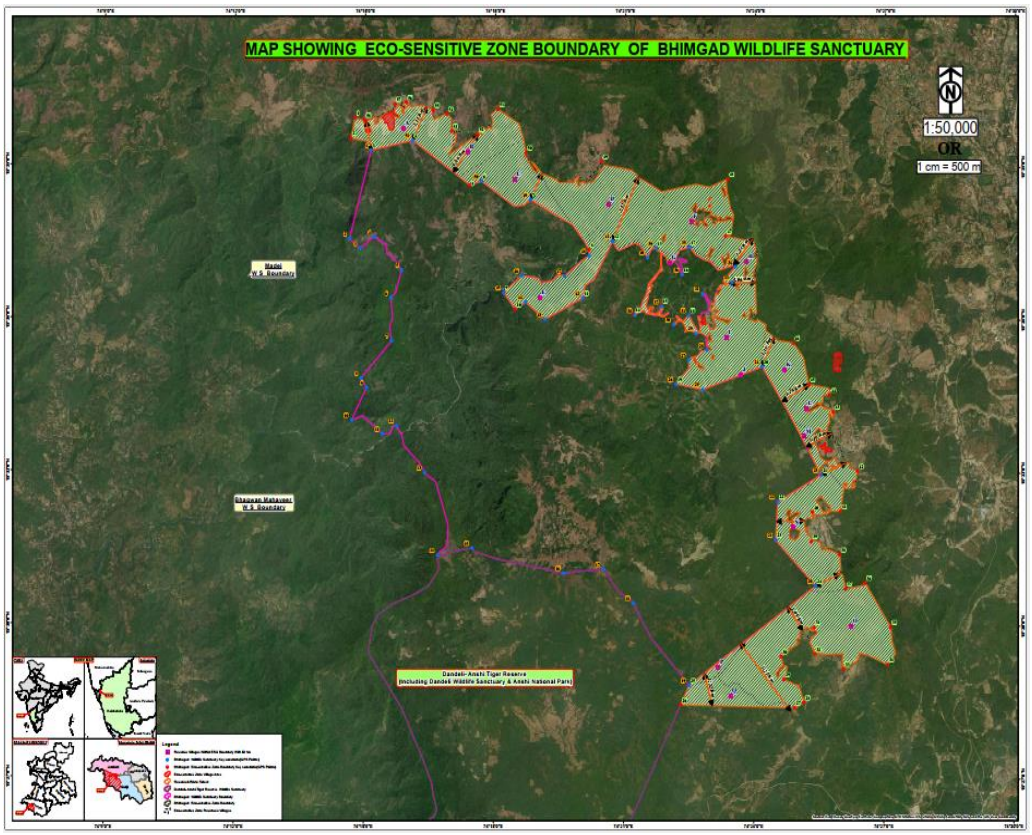

अनुलग्नक- ग

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की संरक्षित क्षेत्र सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के जीपीएस निर्देशांक

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थान (णालीभूमंडलीय स्थिति प्र)

बिंदु आईडी	अक्षांश	देशांतर
1	15° 39' 17.824" उ	74° 15' 8.283" पू
2	15° 37' 33.566" उ	74° 14' 38.632" पू
3	15° 37' 22.233" उ	74° 14' 53.144" पू
4	15° 37' 35.888" उ	74° 15' 12.495" पू
5	15° 36' 56.704" उ	74° 15' 50.955" पू
6	15° 36' 23.875" उ	74° 15' 36.013" पू
7	15° 35' 33.765" उ	74° 15' 37.243" पू
8	15° 34' 49.465" उ	74° 14' 54.959" पू
9	15° 34' 38.681" उ	74° 15' 2.717" पू
10	15° 34' 0.322" उ	74° 14' 42.498" पू
11	15° 33' 44.118" उ	74° 15' 24.996" पू
12	15° 33' 53.768" उ	74° 15' 44.741" पू
13	15° 32' 58.636" उ	74° 16' 23.451" पू
14	15° 31' 21.526" उ	74° 16' 41.706" पू
15	15° 31' 30.043" उ	74° 17' 29.571" पू
16	15° 31' 1.035" उ	74° 19' 35.949" पू
17	15° 31' 5.700" उ	74° 20' 31.167" पू
18	15° 30' 26.257" उ	74° 21' 12.532" पू
19	15° 28' 49.597" उ	74° 22' 30.251" पू
20	15° 30' 46.685" उ	74° 25' 24.960" पू
21	15° 31' 40.818" उ	74° 24' 29.412" पू
22	15° 32' 25.818" उ	74° 24' 32.292" पू
23	15° 32' 57.498" उ	74° 25' 32.412" पू
24	15° 35' 4.578" उ	74° 24' 10.332" पू
25	15° 34' 37.447" उ	74° 22' 47.932" पू
26	15° 34' 43.965" उ	74° 22' 10.903" पू
27	15° 35' 12.270" उ	74° 22' 28.710" पू
28	15° 35' 23.960" उ	74° 22' 53.792" पू
29	15° 35' 43.415" उ	74° 22' 38.672" पू
30	15° 35' 53.646" उ	74° 22' 7.555" पू

बिंदु आईडी	अक्षांश	देशांतर
31	15° 36' 4.992" उ	74° 22' 28.359" पू
32	15° 36' 30.385" उ	74° 22' 47.160" पू
33	15° 36' 43.509" उ	74° 23' 28.228" पू
34	15° 37' 2.329" उ	74° 23' 32.929" पू
35	15° 37' 24.960" उ	74° 22' 29.217" पू
36	15° 36' 52.459" उ	74° 22' 19.008" पू
37	15° 36' 15.008" उ	74° 21' 51.217" पू
38	15° 36' 4.725" उ	74° 21' 14.297" पू
39	15° 37' 23.709" उ	74° 21' 42.735" पू
40	15° 37' 12.590" उ	74° 21' 31.071" पू
41	15° 37' 31.635" उ	74° 20' 42.959" पू
42	15° 36' 24.782" उ	74° 20' 1.725" पू
43	15° 35' 59.572" उ	74° 19' 9.299" पू
44	15° 36' 19.670" उ	74° 18' 42.768" पू
45	15° 36' 30.832" उ	74° 18' 12.327" पू
46	15° 36' 50.867" उ	74° 18' 37.149" पू
47	15° 36' 50.716" उ	74° 19' 36.580" पू
48	15° 37' 14.547" उ	74° 20' 10.161" पू
49	15° 38' 20.416" उ	74° 18' 49.208" पू
50	15° 38' 42.043" उ	74° 17' 41.244" पू
51	15° 39' 29.538" उ	74° 16' 5.772" पू

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर मुख्य स्थान (भूमंडलीय स्थिति प्रणाली)

बिंदु आईडी	अक्षांश	देशांतर
1	15° 39' 55.972" उ	74° 14' 46.070" पू
2	15° 39' 31.808" उ	74° 14' 40.372" पू
3	15° 39' 18.043" उ	74° 15' 8.065" पू
4	15° 39' 29.538" उ	74° 16' 5.772" पू
5	15° 38' 37.338" उ	74° 17' 24.972" पू
6	15° 38' 42.043" उ	74° 17' 41.244" पू
7	15° 38' 20.416" उ	74° 18' 49.208" पू
8	15° 37' 21.668" उ	74° 20' 10.387" पू
9	15° 36' 30.832" उ	74° 18' 12.327" पू

बिंदु आईडी	अक्षांश	देशांतर
10	15° 36' 11.658" उ	74° 18' 27.977" पू
11	15° 36' 24.782" उ	74° 20' 1.725" पू
12	15° 37' 31.635" उ	74° 20' 42.959" पू
13	15° 37' 23.709" उ	74° 21' 42.735" पू
14	15° 36' 4.910" उ	74° 21' 12.889" पू
15	15° 36' 15.976" उ	74° 21' 50.536" पू
16	15° 36' 52.459" उ	74° 22' 19.008" पू
17	15° 37' 24.960" उ	74° 22' 29.217" पू
18	15° 36' 4.992" उ	74° 22' 28.359" पू
19	15° 34' 43.965" उ	74° 22' 10.903" पू
20	15° 35' 4.578" उ	74° 24' 10.332" पू
21	15° 32' 57.498" उ	74° 25' 32.412" पू
22	15° 32' 25.818" उ	74° 24' 32.292" पू
23	15° 31' 40.818" उ	74° 24' 29.412" पू
24	15° 30' 46.685" उ	74° 25' 24.960" पू
25	15° 28' 49.597" उ	74° 22' 30.251" पू
26	15° 28' 26.319" उ	74° 22' 18.503" पू
27	15° 28' 23.380" उ	74° 24' 56.166" पू
28	15° 28' 29.705" उ	74° 25' 9.093" पू
29	15° 28' 56.827" उ	74° 24' 41.271" पू
30	15° 29' 23.688" उ	74° 24' 37.357" पू
31	15° 29' 57.893" उ	74° 25' 22.899" पू
32	15° 29' 26.917" उ	74° 25' 23.915" पू
33	15° 29' 9.347" उ	74° 26' 3.865" पू
34	15° 29' 14.466" उ	74° 27' 4.633" पू
35	15° 29' 58.850" उ	74° 27' 8.658" पू
36	15° 30' 50.719" उ	74° 26' 33.410" पू
37	15° 30' 43.549" उ	74° 26' 6.808" पू
38	15° 31' 23.790" उ	74° 25' 58.176" पू
39	15° 31' 39.051" उ	74° 25' 18.731" पू
40	15° 32' 13.947" उ	74° 25' 19.975" पू
41	15° 32' 14.691" उ	74° 25' 59.104" पू

बिंदु आईडी	अक्षांश	देशांतर
42	15° 33' 2.296" उ	74° 26' 22.488" पू
43	15° 34' 11.637" उ	74° 25' 49.089" पू
44	15° 34' 31.727" उ	74° 25' 43.909" पू
45	15° 34' 43.915" उ	74° 25' 14.881" पू
46	15° 35' 32.733" उ	74° 24' 53.097" पू
47	15° 37' 38.002" उ	74° 23' 19.267" पू
48	15° 38' 45.234" उ	74° 23' 21.981" पू
49	15° 39' 5.411" उ	74° 20' 27.259" पू
50	15° 39' 15.596" उ	74° 18' 42.697" पू
51	15° 40' 6.488" उ	74° 18' 3.859" पू
52	15° 39' 36.595" उ	74° 17' 35.797" पू
53	15° 39' 40.634" उ	74° 16' 59.324" पू
54	15° 40' 0.888" उ	74° 16' 53.152" पू
55	15° 40' 5.279" उ	74° 16' 34.000" पू
56	15° 40' 14.367" उ	74° 15' 56.429" पू
57	15° 40' 12.271" उ	74° 15' 40.852" पू
58	15° 39' 53.361" उ	74° 14' 59.031" पू

अनुलग्नक - घ

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	होबली	तालुका	जिला	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र हेक्टर में
	चिकाले	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15°39'44.191"उ	74°15'52.464"पू	23.3
	गावासे	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15°39'16.500"उ	74°17'22.207"पू	21.86
	अमागाव	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15°38'44.070"उ	74°18'27.404"पू	9.76
	चापोली	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15°38'15.655"उ	74°20'37.043"पू	17.95
	गावाली	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15°36'24.654"उ	74°19'2.350"पू	129.9
	किरावली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15°37'55.620"उ	74°22'31.882"पू	71.94
	पास्टोली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15°37'7.018"उ	74°22'2.240"पू	23.75
	काबानाली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15°37'8.297"उ	74°23'48.479"पू	8.5
	कोंगाले	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15°35'39.440"उ	74°23'21.121"पू	100.91
	नेरासे	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15°35'1.323"उ	74°24'41.428"पू	1.05
	शिरोली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15°34'15.666"उ	74°25'11.594"पू	94.42
	डोंगरागाव	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15°31'55.707"उ	74°24'53.680"पू	22.66
	वराकरपति	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15°29'59.861"उ	74°26'14.173"पू	4.59
कुल							**530.59**

अनुलग्नक – ङ

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भीतर स्थित आरक्षित वन क्षेत्र का विवरण

मानचित्र आईडी	ग्राम का नाम	तालुका	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र हेक्टर में	अधिसूचना संख्या
1	चिकाले	खानापुर	15.6649	74.2608	415.96	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
2	गावासे	खानापुर	15.6641	74.299	794.42	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
3	चापोली	खानापुर	15.6649	74.3311	2384.22	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1098-1/2/1919 1042-29/3/1921
4	अमागाव	खानापुर	15.6466	74.3065	633.96	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921 एएफओ265एफएएफजी-24/11/1959
5	गावाली	खानापुर	15.6201	74.3352	192.58	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894
6	पास्टोली	खानापुर	15.6157	74.365	461.6	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894
7	काबानाली	खानापुर	15.6307	74.3818	611.17	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 5697-19-3-1927
8	कोंगाला	खानापुर	15.5936	74.3936	1576.63	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
9	नेरसे	खानापुर	15.5997	74.4197	169.24	7एफ-1/3/1879 7425-9/11/1888 15471-14/9/1936 524-27/11/1903
10	शिरोली	खानापुर	15.5643	74.43	285.42	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
11	डोंगारगाव	खानापुर	15.5333	74.4382	1259.77	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 6008-24/6/1911

मानचित्र आईडी	ग्राम का नाम	तालुका	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र हेक्टर में	अधिसूचना संख्या
12	वारकाडपते	खानापुर	15.4957	74.4304	2459.82	5618-2/7/1894 9494-10/7/1894 3655-21/2/1924 7एफ-1/3/1879
				कुल	**11244.79**	

अनुलग्नक – च

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भीतर शामिल राजस्व भूमि

क्र. स.	ग्राम	राजस्व सर्वे संख्या	क्षेत्र (हेक्टर)
1	वारकाडपते	116	2.38
		22	0.9
		129	1.31
		कुल	**4.59**
2	डोंगारागाव	54	1.31
		55	2.53
		52	3.34
		64	1.63
		11	7.40
		09	6.45
		कुल	**22.66**
3	शिरोली	199	1.94
		22	0.40
		23	0.50
		24	2.87
		25	3.44
		26	1.31
		34	0.50
		35	0.20
		36	6.0
		33	3.13
		29	2.04
		30	1.61
		15	3.03
		18	0.82
		31	2.22
		32	2.53
		37	2.73
		38	0.2

		50	7.79
		51	1.92
		48	0.76
		49	3.74
		44	0.32
		43	5.16
		42	3.74
		41	7.08
		40	0.6
		39	0.36
		191	0.91
		192	0.6
		193	1.31
		184	3.94
		183	1.0
		188	1.10
		189	0.35
		182	5.97
		10	2.1
		185	1.6
		14	6.1
		19	0.3
		17	0.9
		26	1.3
		कुल	**94.42**
4	नेरसे	126	1.05
		कुल	**1.05**
5	कोंगाला	47	1.2
		48	0.8
		49	1.7
		50	2.3
		58	4.2
		83	0.8
		84	0.45
		28	0.68
		26	0.24
		30	0.29
		39	0.69
		37	2.31
		40	0.89
		41	0.68

		42	0.24
		31	2.9
		33	4.6
		32	2.8
		23	0.79
		22	6.2
		21	0.8
		20	2.4
		19	0.84
		18	0.32
		17	0.10
		16	0.51
		15	1.36
		14	5.2
		86	4.2
		87	8.2
		89	2.3
		12	1.31
		03	0.45
		01	1.31
		70	1.3
		04	0.48
		05	0.14
		06	0.05
		07	0.06
		08	0.12
		09	4.2
		10	1.8
		11	7.2
		85	1.82
		90	0.08
		60	1.32
		61	2.92
		55	5.2
		56	0.09
		57	0.93
		62	4.3
		63	1.2
		65	0.45
		66	0.9
		67	1.5

		68	0.8
		69	1.3
		कुल	**100.91**
06	काबानाली	27	5.6
		57	2.7
		कुल	**8.5**
07	चिकाले	08	4.29
		09	4.53
		02	6.2
		06	4.8
		73	1.22
		69	2.26
		कुल	**23.3**
08	गावासे	11p	21.86
		कुल	**21.86**
09	अमागाव	01	1.36
		02	1.90
		17	2.3
		28	4.2
		कुल	**9.76**
10	किरावाले	1	0.98
		2	0.71
		3	0.32
		4	1.23
		5	0.36
		6	1.70
		7	3.51
		8	2.19
		9	0.56
		10	0.53
		11	2.14
		12	0.94
		13	1.90
		14	2.18
		15	1.29
		16	6.98
		17	0.49
		18	0.89
		19	0.50
		20	0.12
		21	4.2

		22	2.8
		23	1.8
		26	09
		28	0.53
		29	2.48
		30	0.15
		31	0.78
		32	0.87
		33	0.65
		34	4.12
		35	2.39
		36	2.15
		37	3.77
		38	0.38
		39	1.44
		40	0.45
		41	4.93
		42	0.97
		कुल	**71.94**
11	पास्टोली	1	1.76
		2	1.30
		3	0.51
		4	0.26
		5	0.56
		6	0.07
		7	0.12
		8	0.10
		9	0.13
		10	0.12
		11	0.50
		12	0.56
		13	0.6
		15	0.77
		16	0.14
		17	0.53
		18	0.49
		19	0.31
		20	0.15
		21	0.08
		22	0.85
		23	0.11

		24	0.19
		25	0.46
		26	0.38
		28	0.10
		29	2.10
		30	0.66
		31	0.29
		32	1.07
		33	0.09
		34	0.16
		35	0.09
		37	0.15
		38	1.72
		41	1.30
		42	1.77
		43	1.77
		44	0.47
		45	0.10
		46	0.13
		47	0.73
		कुल	**23.75**
12	चापोली	23	4.75
		29	0.9
		28	4.6
		57	2.8
		33	4.9
		कुल	**17.95**
13	गावाली	71	83.8
		72	46.1
		कुल	**129.9**
		कुल योग	**530.59**
टिप्पणी: उल्लिखित सभी राजस्व सर्वे संख्याएं पूरी तरह से पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित हैं			

अनुलग्नक – छ

आरक्षित वन भूमि जो विभिन्न ग्रामों की पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सम्मिलित है

क्र. स.	**ग्राम**	**वन सर्वे संख्या**	**क्षेत्र (हे)**	**टिप्पणियां**
1	कोंगाला	51	5.66	
		52	4.85	
		53	4.54	

		54	1542.77	
		34	0.56	
		29	0.95	
		27	8.21	
		88	3.72	
		82	2.67	
		80	0.08	
		81	0.48	
		79	0.12	
		64	0.02	
		41	0.33	
		42	1.16	
		13	0.35	
		02	0.16	
		45	0.09	
		46	0.06	
		कुल	**1576.63**	
2	काबानाली	59	7.50	
		60	1.18	
		58	1.38	
		56	601.11	
		कुल	**611.17**	
3	चिकाले	07	1.11	
		04	4.75	
		05	9.2	
		79	236.2	
		75	4.28	
		01	160.0	
		74	0.12	
		03	0.3	
		कुल	**415.96**	
4	गावासे	04	794.42	
		कुल	**794.42**	

5	अमागाव	07P	629.41	
		03	4.55	
		कुल	**633.96**	
6	पास्टोली	27	124.29	
		57	337.31	
		वन सर्वेक्षण संख्या	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**टिप्पणी**
		51	5.66	

अनुलग्नक - ज

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत :खनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृ उल्लेकृपया मुख्य) त को एक पृथक अनुलग्नक में संलग्न करें। (
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भूपारिस्थि)अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार-तिकीसंवेद-ी जोन वार । विवरण (अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना2006 , के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार विवरण एक पृथक)अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।(
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 ,के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार विवरण एक पृथक)अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।(
7. पर्यावरण 1986 ,अधिनियम (संरक्षण)की धारा के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार । 19
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2023

S.O. 3565(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 74 (E), dated 7th January, 2016, the following notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the environment (Protection) Rules, 1986 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

AND WHEREAS, Bhimgad Wildlife Sanctuary is spread in the catchment area of Mahadayi River in Khanapur taluk of Belagavi district in Karnataka. It shares boundary with Dandeli Wildlife Sanctuary in Uttar Kannada district of Karnataka and Mahadayi Wildlife Sanctuary in Goa.The total area of the Sanctuary is 19042.58 Ha. The Sanctuary has been carved out of reserve forest areas with high floral and faunal diversity.

AND WHEREAS, Western Ghats due to their unique location play a vital role for conservation of biodiversity in the peninsula. The ecological abundance supported by them, their rich biodiversity and sensitive geomorphology add further uniqueness. Bhimgad region has extensive biodiversity and provides corridor for tiger and other wild animals with adjacent protected areas. Barapede cave of Bhimgad is the only known roosting site for Wroughton's Free Tailed bats in India.Bhimgad region is also one of rare habitats in the country for Theobalds's tomb bat at Krishnapur caves.

AND WHEREAS, the following features provide uniqueness to Bhimgad Wildlife Sanctuary: The area is in the core zone of Western Ghats comprising of semi evergreen & evergreen dense forests with steep slopes. The region is having rich floral and faunal diversity. This region is having lot of wildlife significance. It is habitat for Critically endangered and endemic Species Like Wroughton'sfree tailed bats (*Otomopswroughtoni*) and Theobald's tomb bats (*Taphozous theobaldi*). Barapede caves are known to be the only roosting and breeding place for Wroughton's free tailed bats in India. The forests with beautiful mosaic of woodlands and grass lands are the habitat for Tiger, Leopard, Indian Gaur, Sloth Bear, Sambar, Barking deer, Chital, Wild dog, King Cobra and a variety of other mammals and reptiles. This region with richest reservoirs of biodiversity is located in the east of Mahadayi Wildlife Sanctuary in Goa and in the north of Dandeli Wildlife Sanctuary in Karnataka. This entire stretch acts as natural corridor for tigers and other wildlife between Dandeli Wildlife Sanctuary, Kali Tiger Reserve, Bhagwan Mahaveer & Mahadayi Wildlife Sanctuaries. This area is the place of origin and Catchment basin for many important rivers like Mahadayi, Bailnadi etc. apart from number of streams. The area encompasses several geo-morphological lime stone formations with lots of caves, which support wide variety of fauna and flora endemic to this location. Apart from above, the Sanctuary covers historical Bhimgad fort ruins, which needs to be protected.

AND WHEREAS, the forests of Bhimgad Wildlife Sanctuary are mainly Evergreen and Semi-evergreen type occurring in almost equal proportions. Hemmadaga Section has more of semi-evergreen vegetation and rest of the area has evergreen type of vegetation. Peripheral region around the sanctuary has moist deciduous forests. Vast stretches of grass lands occur in mosaic with thick vegetation on hill slopes. The lateritic plateaus (Sadas) are devoid of big tree growth and only grass growth is seen.

AND WHEREAS, Dominant tree species in Evergreen forests of Bhimgad WLS are Anjan (*Memecylon edule*), Hebbalasu (*Artocarpus hirsutus*), Wate (*Artocarpus lakoocha*), Rampatri (*Myristica malabaricum*), Dalchini (*Cinnamomum sps*), Nandi(*Lagerstroemia lanceolata*), Dhup (*Vateria indica*), Ashok (*Saracaindica*), Fishtail palm (*Caryotaurens*), Gowada (*Mappia foetida*).

AND WHEREAS, Top canopy in this type of vegetation is dominated by tree species like Nandi (*Lagerstroemia lanceolata*), Harada (*Terminalia chebula*), Kaval (*Careya arborea*), Amla (*Emblica officinalis*), Tare (*Terminalia bellirica*), Honne (*Pterocarpus marsupium*), Kindal (*Terminalia paniculata*), Shisham (*Dalbergia latifolia*), Jack (*Artocarpus spp*), Murki (*Buchanania lanzan*), Dhup (*Dipterocarpus indicus*), Gulmavu (*Machilus macaranyha*), Jamun (*Syzigium cumini)etc.*

AND WHEREAS, 2A/C2 type gives place to a secondary serial type which corresponds to southern tropical secondary moist deciduous forests and these are found in Hemmadaga Section of the Wildlife Sanctuary. Tree species *Zizyphus, Butea monosperma, Terminalia chebula, Emblica officinalis are found along with Lasiosiphon eriocephalus.*

AND WHEREAS, Most of the open spaces in the Bhimgad Wildlife Sanctuary are either grass land or under some kind of weed growth. Amongst exotic weeds Lantana infestation, although not very extensive, is seen in Abnali & Hemmadaga forest areas.Remaining areas are infested by Eupatorium in lower altitudes.

AND WHEREAS, most of the hills of Bhimgad region have the presence of two dominant species of *Strobilanthes* namely *Strobilanthes sessilis* and *Strobilanthes callosus* commonly known as Bekra and Karvy, respectively. Nearly 1000 Ha Forest area is completely dominated with Bekra (*Strobilanthes sessilis*). From a distance it looks like vast stretch of grass lands since Bekra does not allow any other species to come up in the area where it has grown.

AND WHEREAS, grasslands on lateritic plateau form mosaic pattern with thick vegetation around them.More than 2000 ha Grasslands are available in Talewadi, Mendil, Gavali, and Hemmadaga areas of the sanctuary. In other portion of the sanctuary also small grass lands are seen amidst thick forests there by encouraging herbivore population.

AND WHEREAS, Bhimgad Wildlife Sanctuary is a rich reservoir of medicinal plants. One such area in semi evergreen forests of Amagoan has been identified for Medicinal Plants Conservation Area (MPCA) during 2010-

11. Out of the recorded species, about 82% of the plants are found to be of medicinal value. Around 47% of the recorded plant species are trees, followed by shrubs (28%) and herbs (18%). The area is also home to several endemic plant species such as *Ancistrocladus heyneanus, Diospyros paniculata, Euonymus indicus, Mastixia arborea*, etc. Several among the recorded medicinal plants such as *Aristolochia tagala, Diospyros montana, Emblica officinalis, Garcinia indica, Nothapodytes nimmoniana*etc., are with high medicinal and economic value.

AND WHEREAS, Bhimgad wildlife Sanctuary is a habitat for variety of mammals, reptiles, birds, butterflies & other insects. Apart from the fact that Bhimgad is the only known place for roosting & breeding of Wroughton free tailed bats, the region has other important predator &prey animals. Presence of resident tigers and their good prey base in the sanctuary indicates it is a good habitat for the Tigers. The Sanctuary is home to variety of Fauna such as Sambar (*Cervus unicolor*),Indian Gaur (*Bos gauras*), Four Horned Antelope (Tetracerus quadricornis), Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Wild boar (*Sus scrofa*), Indian crested porcupine (*Hystixindica*),Indian Hare (*Lepus nigricollis*), Indian spotted chevrotain (*Tragulus meminna*), Gray Langur(*Presbytis entellus*), Red Slender Loris (*Loris tardigradus*), Chital (*Axis axis*), Leopard (*Panthera pardus*), Dhole or Indian Wild Dog (*Cuon alpinus*), Leopard Cat (*Felis bengalensis*) Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Golden Jackal (*Canis aureus*), Python (*Python molurus*), King Cobra (*Ophiophagus hannah*), Russell's viper (*Daboia russelii*), Common Krait (*Bungarus caeruleus*), Rat snake (*Ptyas mucosa*), Vine Snake (*Ahaetulla nasuta*), Common IndianMonitor (*Varanus bengalensis*), Indian Flying Lizard (*Draco dussumieri*), Malabar Gaint squirrel (*Ratufa indica*)etc., Bhimgad region is also considered as one of the most ideal habitats for tigers. Six to Eight tigers are known to be resident and also moving from the Sanctuary to the surrounding forests of Karnataka and Goa State.

AND WHEREAS, the Bhimgad Wildlife Sanctuary has a very good population of avifauna includes Great Indian hornbills and variety of Drongos, Wagtails, Wood peckers, Kingfishers, Eagles, Egrets, Sunbirds,Owls, Doves etc. Grey Jungle fowl, Jungle myna, Crow, Pheasants, Paradise flycatcher etc., are also commonly seen in the region.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bhimgad Bird Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

AND WHEREAS, now by reason of ecological, environmental, faunal, floral, geographical or zoological association or importance, for the purpose of protecting propagating or developing wildlife therein or its environment, the Government of India, in exercise of the powers conferred under by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) hereby declares the area, the situation and limits of which are specified in the schedule to this notification as the "Eco-sensitive Zone" of the Bhimgad Wildlife Sanctuary.

1. Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone.-

(1) The Bhimgad Wildlife Sanctuary is situated in Khanapur Taluk of Belagavi District of Karnataka State and comprises of 13 villages viz; I to XIII. The boundary description of the said Eco-Sensitive Zone is given at **Annexure-A** and the map of the Eco-Sensitive Zone with Key locations on its boundary is at **Annexure-B.** The Eco-sensitive Zone is spread over an area of **117.75 square kilometer** with an extent varying from 0 kilometer (Inter State Boundary and Kali Tiger Reserve) to 3.23 kilometers around the boundary of The Bhimgad Wildlife Sanctuary.

(2) The G.P.S. co-ordinates of Key locations are annexed as **Annexure-C.**

(3) Details of villages that falls within the ESZ are included at **Annexure–D**. Further, the details of Reserved Forest Area within the ESZ are given at **Annexure – E**. And revenue area details within the ESZ boundary are given at **Annexure-F and** reserved forest that falls within the ambit of ESZ is given at **Annexure-G.**

(4) All activities in the Forest Block Areas shall be governed by the provisions of the Indian Forest Act, 1927, Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and all the activities in the Protected Area (Sanctuary) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) including relevant State Acts/Rules/Guidelines as applicable.

(5) The range of the Eco-Sensitive Zone varies from 0.00 kilometers to 3.23 kilometers.

(6) In short **11244.79** ha of reserve forest and **530.59** ha. of revenue comes within the limits of ESZ.

2. Zonal Master Plan.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration, within a period of two years from the publication of this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments of Environment, Forest, urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Karnataka State Pollution

Control Board with a view to include therein various aspects of the environment and ecology for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely: -

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department, Karnataka Road Development Corporation Limited, National Highway Authority of India;

(xii) Hubballi Electricity Supply Company Limited;

(xiii) Police Department (Home);

(xiv) Karnataka State Pollution Control Board

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan would also ensure that no restrictions are imposed on the existing legal land use pattern, as well as the legal infrastructure and activities and same would continue as before. However, the Zonal Master Plan would also factor in improvement of all infrastructure / activities to be more efficient and eco-friendlier.

(5) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(6) No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non-green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan. However, to meet the residential needs of the local residents due to the natural growth of existing local population, strictly limited conversion of agricultural lands may be permitted, with the prior approval of the State Government.

(7) There shall ordinarily be no reduction in Forest Zone, Green Zones and Agricultural area.

(8) Pending the preparation of the Zone Master Plan for Eco-Sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions and other developmental activities shall be referred to the Ministry of Environment and Forests by the Monitoring Committee as per sub-para (4) of paragraph 4 of the notification.

(9) The Monitoring Committee oversees the proper execution of the Zonal Master Plan by all Departments and stakeholders as well. This Committee would also look into the grievances of people and find amicable solution of such grievances.

(10) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part(a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of

Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(a) Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. -The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism. - (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated/prohibited as under, namely: -

(i) No new Commercial Hotels and Resorts or expansion of existing Commercial Hotels and Resorts shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis one co-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new Commercial Hotels and Resorts or expansion of existing Commercial Hotels and Resorts shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.

(4) Natural heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, arte facts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules,2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8thApril, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste. – Bio Medical Waste Management shall be as under: -

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E),dated the 28thMarch, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18thMarch, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29thMarch, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016,unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under: -

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. Prohibited, Regulated and Permitted Activities in Eco-Sensitive Zone.-

All activities in the Bhimgad Wildlife Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

Prohibited, Regulated and Promoted activities in the Eco-Sensitive Zone of Bhimgad Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Activity	Remarks
1	2	3
	Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, Commercial quarrying, Stone Quarrying, Sand Mining and Crushing units.	(a) All new and existing Commercial Mining, Commercial quarrying, Stone Quarrying, Sand Mining and Crushing units are prohibited except for the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
4.	Establishment of Industries	No new or expansion of existing industries shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
6.	Establishment of new major Hydroelectric projects, Thermal Power Plants, Nuclear Power Plants and irrigation projects.	Prohibited.
7.	Introduction of Exotic Species	Prohibited.
8.	Establishment of Commercial Hotels and Resorts	No new or expansion of existing establishment shall be permitted within the Eco-SensitiveZone.
9.	Discharge of effluents and solid waste including medical waste in natural water bodies or terrestrial area.	Prohibited.
10.	Change in Land use pattern from Agriculture and Horticulture	Prohibited in the Eco-Sensitive Zone for commercial purposes such as resorts, establishment of industries, residential layouts.
11.	Establishment of large-scale green houses and other commercial agricultural/horticultural ventures by companies/firms/corporate houses, etc. are prohibited.	Prohibited.
12.	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting for commercial mineral water plants, aerated drinks bottling plants etc.	Prohibited.
13.	Use of Polythene bags by tourists, commercial hotels and resorts.	Prohibited.
14.	Undertaking activities related to tourism like	Prohibited. However, Forest Department may use Drones

	over-flying the Eco Sensitive Zone area by any Aircraft, Hot Air Balloons, Helicopter, Gliders, Parasailing, Drones, Microlites etc.	for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation for making documentaries for non-commercial purpose.
15.	Sign Boards and hoardings	Prohibited. However, permitted within village limits of Eco-Sensitive Zone. Also permitted for Forest Department and User Agencies such as Public Works Department, Karnataka Road Development Corporation Limited, KSHIP, NHAI etc. to put in order to create awareness on wildlife such as sign boards to follow speed limit etc. on public roads passing through Sanctuary and Eco Sensitive Zone in the interest of wildlife.
16.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
17.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, corporates etc.	Prohibited. However, initiatives on a small-scale by the local farmers are permitted.
18.	Setting up of brick kilns.	All new and existing brick kiln units are prohibited.
19.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-Sensitive Zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishments, hospitals, etc. shall be prohibited.
20.	Erection of wind mills	Prohibited.
21.	Construction of new roads	Prohibited within Bhimgad Sanctuary limits as per "Guidelines for Roads in Protected Areas" issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change dated 22nd December, 2014. Construction of roads outside the Sanctuary shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under.
22.	Railways, Ropeways, Cable Cars	Prohibited.
23.	Erection of electrical cables, transmission lines beyond 11kV.	Prohibited.
Regulated Activities		
24.	Commercial establishment of hotels and resorts*	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
25.	Construction activities*	No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco Sensitive Zone. However, local people may be allowed to undertake construction in their land for their bonafide use to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; However, such industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with

		the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any and construction of such industries shall not be permanent in nature. (ii) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism and construction of such industries shall not be permanent in nature.
26.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under.
27.	Commercial use of water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for local people for their *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use shall not be permitted. (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
28.	Erection of electrical cables, transmission lines.	Regulated as per applicable laws. Provided that any future laying of electric cables/ transmission lines for domestic purposes up to 11KV, cabling has to be mandatorily done underground and indication tiles/cable protection covers shall be mandatorily put by the user agencies.The "sag" point between the two towers of existing electric lines should be at safe distance from the ground in order to avoid electrocution of wild animals.
29.	Telecommunication towers and Optical fiber cable lines.	Regulated as per applicable laws.
30.	Electric fencing, compound for commercial hotels/resorts/private homestays, private farms and large-scale commercial Agricultural and horticultural ventures by firms, corporate houses, companies.	Regulated as per applicable laws.
31.	Widening and strengthening of existing roads.	Regulated as per applicable laws.
32.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws. Further, restrictions on State Highway 30 passing through Bhimgad Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone between 6pm to 6am shall continue.
34.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
35.	Fishing	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
36.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals. However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the Zonal Master Plan.

37.	Erection of Electrical cables for housing, agricultural and other self-subsistence purposes.	Promote underground cabling.
38.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
40.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.
42.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
43.	Skill Development	Shall be actively promoted.
44.	Environment Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification:

For monitoring compliance of the provisions of this notification, the Central Government constitutes a Monitoring Committee comprising of the following namely:-

S.N.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Regional Commissioner, Belagavi	Chairman, *'ex-officio'*;
2.	Deputy Commissioner or his representative, Belagavi District	Member, *'ex-officio'*;
3.	Superintendent of Police or his representative - Belagavi District	Member, *'ex-officio'*;
4.	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
5.	Representative of Pollution Control Board, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
6.	Representative of Energy Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
7.	Representative of Tourism Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
8.	Representative of Rural Development and Panchayat Raj Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
9.	Representative of Public Work, Ports and Inland Water Transport Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
10.	Representative of Health Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
11.	Representative of Urban Development Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
12.	Representative of Animal Husbandry Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
13.	Representative of Minor Irrigation Department, Karnataka	Member, *'ex-officio'*;
14.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the State Government of Karnataka for a tenure not exceeding 3 years each	Member;
15.	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Karnataka for a tenure not exceeding 3 years each	Member;
16.	Deputy Conservator of Forests, Territorial Division, Belagavi	Member Secretary, *'ex-officio'*.

6. Terms and Functions:

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at **Annexure H**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc.:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/158/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE-A

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

North:	The boundary of eco-sensitive zone starts at 15° 39' 55.972" N, 74° 14' 46.070" E near Parwad village and runs towards Gavase Village with GPS point 15° 39' 16.500" N, 74° 17' 22.207" E. It shares common boundary with Amagav Village with GPS points 15° 38' 44.070" N, 74° 18' 27.404" E. At Sy. No. 8 it takes right turn and moves further towards Chapoli Village with GPS point 15° 38' 15.655" N, 74° 20' 37.043" E. Then the boundary of ESZ follows KotniNadi and takes turn at GPS point 15° 36' 30.832" N, 74° 18' 12.327" E and further continues at the boundary of Sy. No. 70 of Gavali Village. The ESZ Boundary shares common boundary with Kapoli K. Chapoli and Kiravali villages with GPS point 15° 37' 55.620" N, 74° 22' 31.882" E. A smallportion of land belonging to Pastole Village falls within the ESZ Boundary with GPS point 15° 36' 52.459" N, 74° 22' 19.008" E.The ESZ Boundary runs along the boundary of Sy. No. 36 till Sy. 52 of Kabanali Village with the GPS point 15° 37' 8.297" N, 74° 23' 48.479" E.
East:	The ESZ boundary continues from Kabanali and enters Kongale Village with GPS point 15° 35' 39.440" N, 74° 23' 21.121" E and continues with the boundary of Sy. No. 43, Sy. No. 44 and Sy. No. 25 and enters Nerse Village at Sy. No. 125 and runs towards Shiroli Village at Sy. No. 97, 96 with GPS point 15° 34' 15.666" N, 74° 25' 11.594" E. Further, ESZ Boundary runs along the Nerse and Jamagaon Village at GPS Point 15° 34' 55.597" N, 74° 23' 40.982" E and NerseAvanali Village with GPS Point 15° 33' 42.894" N, 74° 25' 8.580" E.
South:	From the above point the boundary enters Dongragaon Village through the GPS point 15° 34' 11.637" N, 74° 25' 49.089" E and crosses Haltara Nala and further moves towards Varakarpati Village with GPS point 15° 29' 59.861" N, 74° 26' 14.173" E. Then the boundary runs along HemmadagaiVarakarpati Village and enters Devuli Village of UTTARA Kannada District at GPS point 15° 28' 36.783" N, 74° 23' 27.491" E andcrosses TarvaNadi and finally joins DandeliAnshi Tiger Reserve at GPS point 15° 28' 26.319" N, 74° 22' 18.503" E.
West :	From the above point the boundary runs through the common boundary of the Bhimgad Wildlife Sanctuary and the Dandeli Wildlife Sanctuary till it reaches the Interstate state boundary of the Goa and Karnataka states. Then runs all along the Interstate boundary till it reaches the starting point.

ANNEXURE –B

MAPS OF ECO SENSITIVE ZONE OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

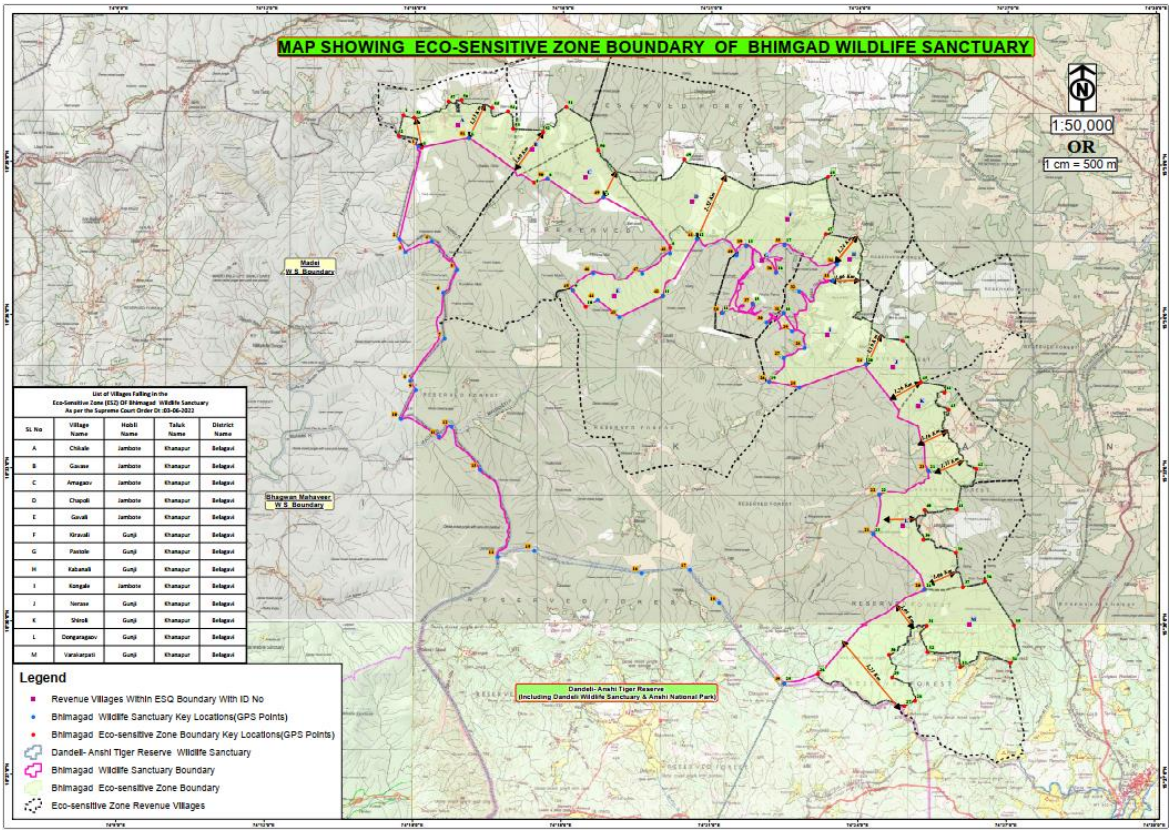

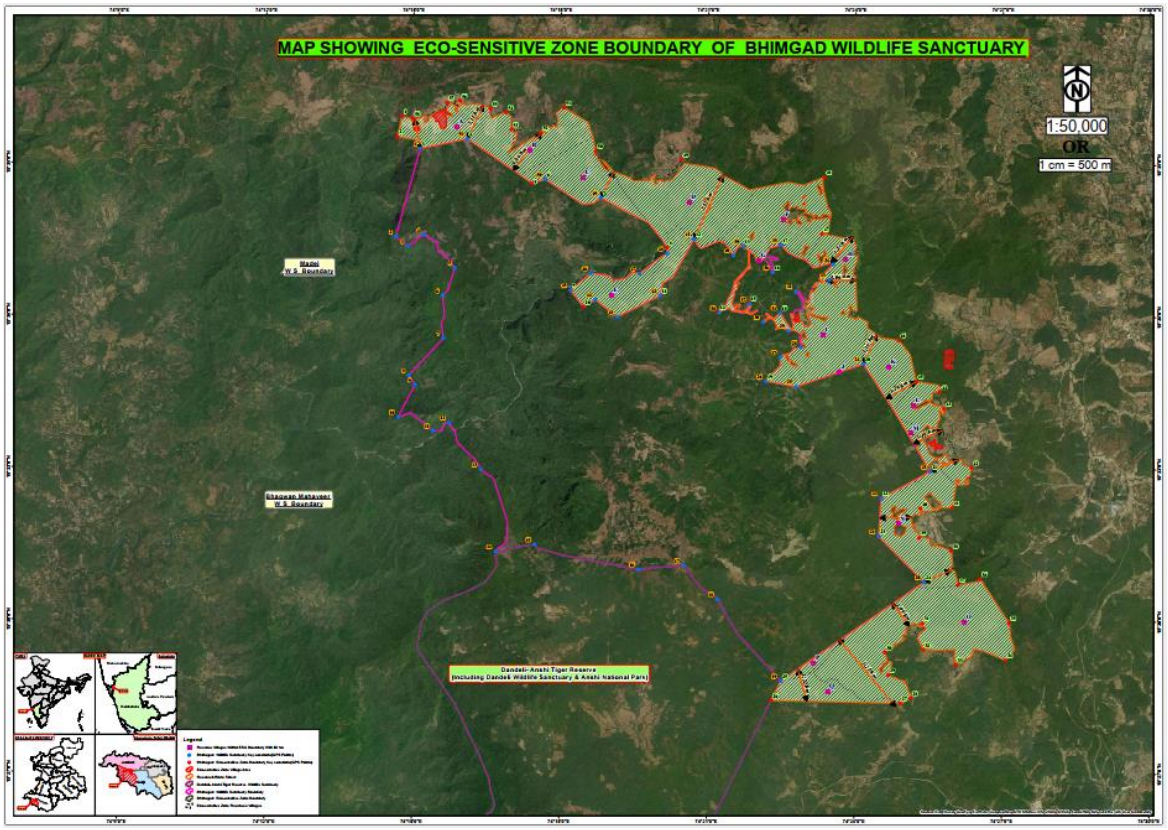

ANNEXURE-C

GPS COORDINATES OF PROTECTED AREA BOUNDARY AND ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

Key Location (Global Positioning System) on Bhimgad Wildlife Sanctuary Boundary

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
1	15° 39' 17.824" N	74° 15' 8.283" E
2	15° 37' 33.566" N	74° 14' 38.632" E
3	15° 37' 22.233" N	74° 14' 53.144" E
4	15° 37' 35.888" N	74° 15' 12.495" E
5	15° 36' 56.704" N	74° 15' 50.955" E
6	15° 36' 23.875" N	74° 15' 36.013" E
7	15° 35' 33.765" N	74° 15' 37.243" E
8	15° 34' 49.465" N	74° 14' 54.959" E
9	15° 34' 38.681" N	74° 15' 2.717" E
10	15° 34' 0.322" N	74° 14' 42.498" E
11	15° 33' 44.118" N	74° 15' 24.996" E
12	15° 33' 53.768" N	74° 15' 44.741" E
13	15° 32' 58.636" N	74° 16' 23.451" E
14	15° 31' 21.526" N	74° 16' 41.706" E
15	15° 31' 30.043" N	74° 17' 29.571" E
16	15° 31' 1.035" N	74° 19' 35.949" E
17	15° 31' 5.700" N	74° 20' 31.167" E
18	15° 30' 26.257" N	74° 21' 12.532" E
19	15° 28' 49.597" N	74° 22' 30.251" E
20	15° 30' 46.685" N	74° 25' 24.960" E
21	15° 31' 40.818" N	74° 24' 29.412" E
22	15° 32' 25.818" N	74° 24' 32.292" E
23	15° 32' 57.498" N	74° 25' 32.412" E
24	15° 35' 4.578" N	74° 24' 10.332" E
25	15° 34' 37.447" N	74° 22' 47.932" E
26	15° 34' 43.965" N	74° 22' 10.903" E
27	15° 35' 12.270" N	74° 22' 28.710" E
28	15° 35' 23.960" N	74° 22' 53.792" E
29	15° 35' 43.415" N	74° 22' 38.672" E
30	15° 35' 53.646" N	74° 22' 7.555" E
31	15° 36' 4.992" N	74° 22' 28.359" E
32	15° 36' 30.385" N	74° 22' 47.160" E
33	15° 36' 43.509" N	74° 23' 28.228" E
34	15° 37' 2.329" N	74° 23' 32.929" E
35	15° 37' 24.960" N	74° 22' 29.217" E

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
36	15° 36' 52.459" N	74° 22' 19.008" E
37	15° 36' 15.008" N	74° 21' 51.217" E
38	15° 36' 4.725" N	74° 21' 14.297" E
39	15° 37' 23.709" N	74° 21' 42.735" E
40	15° 37' 12.590" N	74° 21' 31.071" E
41	15° 37' 31.635" N	74° 20' 42.959" E
42	15° 36' 24.782" N	74° 20' 1.725" E
43	15° 35' 59.572" N	74° 19' 9.299" E
44	15° 36' 19.670" N	74° 18' 42.768" E
45	15° 36' 30.832" N	74° 18' 12.327" E
46	15° 36' 50.867" N	74° 18' 37.149" E
47	15° 36' 50.716" N	74° 19' 36.580" E
48	15° 37' 14.547" N	74° 20' 10.161" E
49	15° 38' 20.416" N	74° 18' 49.208" E
50	15° 38' 42.043" N	74° 17' 41.244" E
51	15° 39' 29.538" N	74° 16' 5.772" E

Key Location (Global Positioning System) on Eco Sensitive Zone Boundary

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
1	15° 39' 55.972" N	74° 14' 46.070" E
2	15° 39' 31.808" N	74° 14' 40.372" E
3	15° 39' 18.043" N	74° 15' 8.065" E
4	15° 39' 29.538" N	74° 16' 5.772" E
5	15° 38' 37.338" N	74° 17' 24.972" E
6	15° 38' 42.043" N	74° 17' 41.244" E
7	15° 38' 20.416" N	74° 18' 49.208" E
8	15° 37' 21.668" N	74° 20' 10.387" E
9	15° 36' 30.832" N	74° 18' 12.327" E
10	15° 36' 11.658" N	74° 18' 27.977" E
11	15° 36' 24.782" N	74° 20' 1.725" E
12	15° 37' 31.635" N	74° 20' 42.959" E
13	15° 37' 23.709" N	74° 21' 42.735" E
14	15° 36' 4.910" N	74° 21' 12.889" E
15	15° 36' 15.976" N	74° 21' 50.536" E
16	15° 36' 52.459" N	74° 22' 19.008" E
17	15° 37' 24.960" N	74° 22' 29.217" E
18	15° 36' 4.992" N	74° 22' 28.359" E
19	15° 34' 43.965" N	74° 22' 10.903" E

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
20	15° 35' 4.578" N	74° 24' 10.332" E
21	15° 32' 57.498" N	74° 25' 32.412" E
22	15° 32' 25.818" N	74° 24' 32.292" E
23	15° 31' 40.818" N	74° 24' 29.412" E
24	15° 30' 46.685" N	74° 25' 24.960" E
25	15° 28' 49.597" N	74° 22' 30.251" E
26	15° 28' 26.319" N	74° 22' 18.503" E
27	15° 28' 23.380" N	74° 24' 56.166" E
28	15° 28' 29.705" N	74° 25' 9.093" E
29	15° 28' 56.827" N	74° 24' 41.271" E
30	15° 29' 23.688" N	74° 24' 37.357" E
31	15° 29' 57.893" N	74° 25' 22.899" E
32	15° 29' 26.917" N	74° 25' 23.915" E
33	15° 29' 9.347" N	74° 26' 3.865" E
34	15° 29' 14.466" N	74° 27' 4.633" E
35	15° 29' 58.850" N	74° 27' 8.658" E
36	15° 30' 50.719" N	74° 26' 33.410" E
37	15° 30' 43.549" N	74° 26' 6.808" E
38	15° 31' 23.790" N	74° 25' 58.176" E
39	15° 31' 39.051" N	74° 25' 18.731" E
40	15° 32' 13.947" N	74° 25' 19.975" E
41	15° 32' 14.691" N	74° 25' 59.104" E
42	15° 33' 2.296" N	74° 26' 22.488" E
43	15° 34' 11.637" N	74° 25' 49.089" E
44	15° 34' 31.727" N	74° 25' 43.909" E
45	15° 34' 43.915" N	74° 25' 14.881" E
46	15° 35' 32.733" N	74° 24' 53.097" E
47	15° 37' 38.002" N	74° 23' 19.267" E
48	15° 38' 45.234" N	74° 23' 21.981" E
49	15° 39' 5.411" N	74° 20' 27.259" E
50	15° 39' 15.596" N	74° 18' 42.697" E
51	15° 40' 6.488" N	74° 18' 3.859" E
52	15° 39' 36.595" N	74° 17' 35.797" E
53	15° 39' 40.634" N	74° 16' 59.324" E
54	15° 40' 0.888" N	74° 16' 53.152" E
55	15° 40' 5.279" N	74° 16' 34.000" E
56	15° 40' 14.367" N	74° 15' 56.429" E
57	15° 40' 12.271" N	74° 15' 40.852" E
58	15° 39' 53.361" N	74° 14' 59.031" E

ANNEXURE -D

DETAILS OF VILLAGES FALLING WITH ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

Sl No	Village Name	Hobli Name	Taluk Name	District Name	Latitude	Longitude	Area Ha
1.	Chikale	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 39' 44.191" N	74° 15' 52.464" E	23.3
2.	Gavase	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 39' 16.500" N	74° 17' 22.207" E	21.86
3.	Amagaov	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 38' 44.070" N	74° 18' 27.404" E	9.76
4.	Chapoli	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 38' 15.655" N	74° 20' 37.043" E	17.95
5.	Gavali	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 36' 24.654" N	74° 19' 2.350" E	129.9
6.	Kiravali	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 37' 55.620" N	74° 22' 31.882" E	71.94
7.	Pastole	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 37' 7.018" N	74° 22' 2.240" E	23.75
8.	Kabanali	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 37' 8.297" N	74° 23' 48.479" E	8.5
9.	Kongale	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 35' 39.440" N	74° 23' 21.121" E	100.91
10	Nerase	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 35' 1.323" N	74° 24' 41.428" E	1.05
11	Shiroli	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 34' 15.666" N	74° 25' 11.594" E	94.42
12	Dongaragaov	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 31' 55.707" N	74° 24' 53.680" E	22.66
13	Varakarpati	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 29' 59.861" N	74° 26' 14.173" E	4.59
						TOTAL	530.59

ANNEXURE –E

DETAILS OF RESERVE FOREST AREA LOCATED WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

Map ID	Name of the village	Taluka	Lat	Long	Area in Ha.	Notification No.
1	Chikale	Khanapur	15.6649	74.2608	415.96	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
2	Gavase	Khanapur	15.6641	74.299	794.42	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
3	Chapoli	Khanapur	15.6649	74.3311	2384.22	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1098-1/2/1919 1042-29/3/1921
4	Amgaon	Khanapur	15.6466	74.3065	633.96	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921 AFO265FAFG-24/11/1959
5	Gawali	Khanapur	15.6201	74.3352	192.58	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894
6	Pastoli	Khanapur	15.6157	74.365	461.6	7F-1/3/1879

Map ID	Name of the village	Taluka	Lat	Long	Area in Ha.	Notification No.
						5618-2/7/1894
7	Kabanalli	Khanapur	15.6307	74.3818	611.17	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 5697-19-3-1927
8	Kongala	Khanapur	15.5936	74.3936	1576.63	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
9	Nerse	Khanapur	15.5997	74.4197	169.24	7F-1/3/1879 7425-9/11/1888 15471-14/9/1936 524-27/11/1903
10	Shiroli	Khanapur	15.5643	74.43	285.42	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
11	Dongargoan	Khanapur	15.5333	74.4382	1259.77	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 6008-24/6/1911
12	Warkadpate	Khanapur	15.4957	74.4304	2459.82	5618-2/7/1894 9494-10/7/1894 3655-21/2/1924 7F-1/3/1879
				Total	**11244.79**	

ANNEXURE – F

REVENUE LAND INCLUDED WITHIN THE ESZ BOUNDARY

Sl no	Village	Revenue Survey No	Area (hectares)
1	WARKADPATE	116	2.38
		22	0.9
		129	1.31
		Total	**4.59**
2	DONGARAGAON	54	1.31
		55	2.53
		52	3.34
		64	1.63
		11	7.40
		09	6.45
		Total	**22.66**
3	SHIROLI	199	1.94

		22	0.40
		23	0.50
		24	2.87
		25	3.44
		26	1.31
		34	0.50
		35	0.20
		36	6.0
		33	3.13
		29	2.04
		30	1.61
		15	3.03
		18	0.82
		31	2.22
		32	2.53
		37	2.73
		38	0.2
		50	7.79
		51	1.92
		48	0.76
		49	3.74
		44	0.32
		43	5.16
		42	3.74
		41	7.08
		40	0.6
		39	0.36
		191	0.91
		192	0.6
		193	1.31
		184	3.94
		183	1.0
		188	1.10
		189	0.35
		182	5.97
		10	2.1
		185	1.6
		14	6.1
		19	0.3
		17	0.9

		26	1.3
		Total	**94.42**
4	NERSE	126	1.05
		Total	**1.05**
5	KONGALA	47	1.2
		48	0.8
		49	1.7
		50	2.3
		58	4.2
		83	0.8
		84	0.45
		28	0.68
		26	0.24
		30	0.29
		39	0.69
		37	2.31
		40	0.89
		41	0.68
		42	0.24
		31	2.9
		33	4.6
		32	2.8
		23	0.79
		22	6.2
		21	0.8
		20	2.4
		19	0.84
		18	0.32
		17	0.10
		16	0.51
		15	1.36
		14	5.2
		86	4.2
		87	8.2
		89	2.3
		12	1.31
		03	0.45
		01	1.31
		70	1.3
		04	0.48

		05	0.14
		06	0.05
		07	0.06
		08	0.12
		09	4.2
		10	1.8
		11	7.2
		85	1.82
		90	0.08
		60	1.32
		61	2.92
		55	5.2
		56	0.09
		57	0.93
		62	4.3
		63	1.2
		65	0.45
		66	0.9
		67	1.5
		68	0.8
		69	1.3
		Total	**100.91**
06	KABANALI	27	5.6
		57	2.7
		Total	**8.5**
07	CHIKALE	08	4.29
		09	4.53
		02	6.2
		06	4.8
		73	1.22
		69	2.26
		Total	**23.3**
08	GAVASE	11p	21.86
		Total	**21.86**
09	AMAGAON	01	1.36
		02	1.90
		17	2.3
		28	4.2
		Total	**9.76**
10	KIRAVALE	1	0.98

		2	0.71
		3	0.32
		4	1.23
		5	0.36
		6	1.70
		7	3.51
		8	2.19
		9	0.56
		10	0.53
		11	2.14
		12	0.94
		13	1.90
		14	2.18
		15	1.29
		16	6.98
		17	0.49
		18	0.89
		19	0.50
		20	0.12
		21	4.2
		22	2.8
		23	1.8
		26	09
		28	0.53
		29	2.48
		30	0.15
		31	0.78
		32	0.87
		33	0.65
		34	4.12
		35	2.39
		36	2.15
		37	3.77
		38	0.38
		39	1.44
		40	0.45
		41	4.93
		42	0.97
		Total	**71.94**
11	PASTOLI	1	1.76

		2	1.30
		3	0.51
		4	0.26
		5	0.56
		6	0.07
		7	0.12
		8	0.10
		9	0.13
		10	0.12
		11	0.50
		12	0.56
		13	0.6
		15	0.77
		16	0.14
		17	0.53
		18	0.49
		19	0.31
		20	0.15
		21	0.08
		22	0.85
		23	0.11
		24	0.19
		25	0.46
		26	0.38
		28	0.10
		29	2.10
		30	0.66
		31	0.29
		32	1.07
		33	0.09
		34	0.16
		35	0.09
		37	0.15
		38	1.72
		41	1.30
		42	1.77
		43	1.77
		44	0.47
		45	0.10
		46	0.13

		47	0.73
		Total	**23.75**
12	CHAPOLI	23	4.75
		29	0.9
		28	4.6
		57	2.8
		33	4.9
		Total	**17.95**
13	GAVALI	71	83.8
		72	46.1
		Total	**129.9**
		Grand Total	**530.59**
Note: All the Revenue Survey Numbers mentioned above are fully included in the Eco Sensitive Zone			

ANNEXURE – G

RESERVE FOREST LAND THAT IS INCLUDED WITHIN THE ESZ BOUNDARY OF DIFFERENT VILLAGES

Sl no	Village	Forest Survey Number	Area(Ha)	Remarks
1	KONGALA	51	5.66	
		52	4.85	
		53	4.54	
		54	1542.77	
		34	0.56	
		29	0.95	
		27	8.21	
		88	3.72	
		82	2.67	
		80	0.08	
		81	0.48	
		79	0.12	
		64	0.02	
		41	0.33	
		42	1.16	
		13	0.35	
		02	0.16	
		45	0.09	
		46	0.06	
		TOTAL	**1576.63**	
2	KABANALI	59	7.50	

		60	1.18	
		58	1.38	
		56	601.11	
		TOTAL	**611.17**	
3	CHIKALE	07	1.11	
		04	4.75	
		05	9.2	
		79	236.2	
		75	4.28	
		01	160.0	
		74	0.12	
		03	0.3	
		TOTAL	**415.96**	
4	GAVASE	04	794.42	
		TOTAL	**794.42**	
5	AMAGAON	07P	629.41	
		03	4.55	
		TOTAL	**633.96**	
6	PASTOLI	27	124.29	
		57	337.31	
		51	5.66	

ANNEXURE –H

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.10 19:59:22 +05'30'